दिनांक 13/8/2020 को पेश हो।

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला–जयपुर

13/8/2020 पत्रावली आज पेश हुई। वकील, पक्षकार उपस्थित। पत्रावली पर प्रा०पत्र 07R11 की बहस हुई। पत्रावली वास्ते आदेश 07 R11 हेतु दिनांक 27/8/2020 को पेश हो।

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला–जयपुर

27/8/2020 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय द्वारा कन्डोलेन्स/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नही की जा सकी। पत्रावली दिनांक 29/9/2020 को पेश हो।

29/9/20 पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब राजकार्य कार्य मे [illegible] रहने के कारण कार्यवाही [illegible] नी जा सकी पत्रावली दिनांक 23/10/2020 को पेश हो।

23/10/20 पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब राजकार्य [illegible] के कारण [illegible] जा सकी [illegible] दिनांक 6/11/2020 को [illegible] हो।

6/11/2020 पत्रावली आज वास्ते सुनः बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सी·पी·सी पेश हुई। [illegible] वकुलाय से प्रा०पत्र आदेश 7 नियम 11 [illegible] पर [illegible]

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला–जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kumar Verma
Date: 2021.02.11 17:16:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

सुनी गई! प्रार्थी प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी एंव अप्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एंव उभयपक्षों के वकीलो की ओर से की गई बहस को सावधानी पूर्वक अवलोकन एंव मनन किया गया।

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 CPC एंव जवाब प्रार्थना पत्र का मनन करने पर एव अवलोकन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि वादी ने न्यायालय के समक्ष जिस विवादित खसरा न० 163/1 रकबा 0.1644 हे० वाकै ग्राम कानोता के संबंध मे वाद पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त खसरा न० कि यथास्थिति बनाऐ रखने का उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी कर रखा है। एवं स्थगन आदेश का जमाबंदी पर नोट अंकित है। यानि वादीगण ने न्यायालय के समक्ष जिस विवादीत आराजी के संबंध मे वाद पत्र प्रस्तुत किया है वह पहले से ही उच्च न्यायालय से संबंधित है एंव वादीगण ने अपने जवाब प्रार्थना प्रार्थना पत्र इस तथ्य को स्वीकार किया है कि माननिय उच्च न्यायालय राजस्थान मे विवादित आराजी के संबंध मे मामला / प्रकरण विचाराधिन है। एंव उच्च न्यायालय ने यथास्थिति का स्थगन आदेश पारीत कर[illegible] वादीगण की ओर से [illegible] 16/8/201[illegible] [illegible] धारा है कि वादीगण [illegible] मे भी प्रतिवादीगण को हैरान परेशान करने की गरज से इसी तरीके का वाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kumar Verma
Date: 2021.02.11 17:16:47 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला-जयपुर

क आज्ञा र्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	प्रस्तुत किया था। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय राजस्थान के समक्ष विवादित अराजी के संबंध में मामला विचाराधीन होने एंव उच्च न्यायालय द्वारा विवादित अराजी के संबंध में स्थगन जारी करने कि वजह से उक्त वाद पत्र न्यायालय के समक्ष विधि की मंशा के विपरीत पेश प्रतीत होता है। अतः समस्त तथ्यो के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि वादीगण ने पूर्व की भांती सिर्फ प्रतिवादीगण को हैरान व परेशान करने की गरज से उक्त वाद पत्र पेश किया है। एंव प्रार्थी प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत रूलिंग RNJ 2017 (1) Page (1) राजस्थान उच्च न्यायालय की उक्त प्रकरण पर चस्पा होती है। अतः वादीगण का वाद विधि की मंशा के विपरित होने एंव वादीगण को कोई संरक्षा वादकारण उत्पन्न नही होने व ~~वादीगण~~ प्रतिवादीगण को हैरान व परेशान करने कि गरज से प्रस्तुत किया गया होने कारण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी स्वीकार किया जाता है एंव वादीगण का वाद पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर [illegible] होने पर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Ram Kumar Verma Date: 2021.02.11 17:16:47 IST Reason: SelfAttested उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बस्सी जिला-जयपुर	

Scanned by CamScanner